भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2978

(दिनांक 15.12.2021 को उत्तर देने के लिए)

पेंशन रोकना

2978: श्री सुनील कुमार पिन्टू:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा, उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद पेंशनभोगियों की पेंशन राशि रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां कोई पेंशनभोगी सेवा के दौरान, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में गंभीर कदाचार या उपेक्षा का दोषी पाया जाता है अथवा गंभीर अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है या सेवानिवृत्ति के पश्चात गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो केंद्रीय सरकार की सिविल सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनभोगी की पेंशन, पूर्ण या आंशिक रूप से रोकी जा सकती है या वापस ली जा सकती है।

पेंशन/कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने की कार्रवाई उस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा की जाती है जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व कार्यरत था। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 'भविष्य' नामक एक ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति तथा ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है और उसे शुरु किया है जिसके द्वारा पेंशन मामलों पर यथाशीघ्र और सटीक कार्रवाई की जाती है

जारी.....2

और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। इन नियमों में पेंशन मामले पर कार्रवाई करने के प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन नियमों में ऐसे मामलों में जहां प्रशासनिक कारणों से किसी सरकारी कर्मचारी के, उसके पेंशन और उपदान को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही सेवानिवृत होने की संभावना हो, अनंतिम पेंशन की मंजूरी देने का भी प्रावधान किया गया है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर पेंशन, कुटुंब पेंशन एवं अन्य पेंशन संबंधी हितलाभों का भुगतान समय पर करने के लिए, समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 9 मार्च, 2021 के कार्यालय ज्ञापन में संगठनों/विभागों के प्रमुखों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिवों द्वारा पेंशन मामलों की प्रगति की नियमित निगरानी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

******